Ministry of Home Affairs-Major Achievements, significant Development and important events for the month of September, 2022.

A Memorandum of Settlement (MoS) has been signed on 15.09.2022 between GoI, Government of Assam and representatives of 8 Adivasi Groups (BCF, ACMA, AANLA, APA, STF, AANLAJ FG, BCF/ BT and ACMA/ FG) to end the decade's old crisis of Adivasis and tea garden workers in Assam. Hon'ble Home Minister presided over the signing of this historic agreement.

2. Hon'ble Home Minister chaired a meeting with Chief Ministers of Arunachal Pradesh and Assam on 15.09.2022 at New Delhi on Assam-Arunachal Pradesh inter-state border issues. Both States have prepared a roadmap to resolve their inter-state border issues.

3. Hon'ble Home Minister chaired a meeting with Chief Minister of Tripura on 20.09.2022 to review implementation of Bru Agreement (2020). Timeline of Bru agreement has been extended upto 28.02.2023.

4. Hon'ble Home Minister held a meeting on 09.09.2022 to review the revision of items and Norms of Assistance from State Disaster Response Fund (SDRF) and National Disaster Response Fund (NDRF) for the period of 2021-26.

5. Hon'ble Home Minister took a meeting on 30.09.2022 to discuss the proposed Agenda items for 8th meeting of NDMA to be chaired by Hon'ble Prime Minister.

6. Union Home Secretary had taken a meeting on 27.09.2022 with the Chief Secretaries of Andhra Pradesh and Telangana along with the Ministries/ Departments concerned to discuss the issues arising out of implementation of provisions of Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014.

7. Union Home Secretary held a meeting on 08.09.2022 to discuss issues regarding sharing of Towers Infrastructure installed in LWE affected areas for services such as mobile, FM Radio etc., with Secretary (I&B), Administrator (USOF) and other senior officers.

8. Union Home Secretary had written to Secretary (MoRD) regarding inclusion of 13 (5 Most affected and 8 Districts of Concern) districts under their Roshni Scheme.

9. Union Home Secretary held the 53rd High Level Empowered Committee meeting on 14.09.2022 at North Block, New Delhi on border infrastructure.

10. In principle approval on Amendment to Census Act has been given by Hon'ble Home Minister.

11. A two days All India DCOs conference was held on 15-16 September, 2022 at Vigyan Bhawan, New Delhi.

12. The Uttarakhand Civil Laws (Amendment) Bill, 2021 has been assented to by the Hon'b1e President of India on 07.09.2022.

13. The Popular Front of India (PFI) and its associates or affiliates or fronts including Rehab India Foundation (RIF), Campus Front of India (CFI), All India Imams Council (AIIC), National Confederation of Human Rights Organization (NCHRO), National Women's Front, Junior Front, Empower India Foundation and Rehab Foundation, Kerala has been declared as 'unlawful association' vide Notification dated the 28th September, 2022, published in the Gazette of India.

14. During the month of September, sanction for prosecution for filing the charge sheet against 33 accused was accorded in accordance with section 45 (1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and 196 of CrPC.

15. A Ceasefire Agreement with National Socialist Council of Nagaland (K)Niki group has been extended for a further period of one year w.e.f. 08.09.2022 to 07.09.2023.

16. A Meeting was held on 12.09.2022 by Additional Secretary (LWE), MHA with senior officers of Central Para Military Forces, three States namely Chhattisgarh, Odisha & Maharashtra and other agencies regarding filling up of Security vacuum in LWE affected areas of these States including their inter-state borders.

17. A meeting of the Standing Committee of Assistance to Central Agencies for LWE Management (ACALWEM) Scheme was held on 02.09.2022 by Addl. Secretary (LWE), MHA with Nodal officers of LWE affected areas & concerned agencies of MHA. Plan for opening new camps for security forces, strengthening their existing camps, physical & financial progress of construction of Night Landing Facilities and Joint Task Force Camps were reviewed and finalized.

18. The 10th ORGI Seminar lecture on the topic "Bridging the Last Mile in Pro Poor Public Welfare" was delivered by Shri Amarjeet Sinha, Member, Public Enterprises Selection Board in the mixed mode (online and physical) at the ORGI's Conference Room, NDCC-11 Building Jai Singh Road, New Delhi, on 29th September, 2022. Around 250 officers of ORGI/ DCOs attended the same.

19. Meeting between GoI delegation led by Joint Secretary (IC), MHA and US delegation led by Assistant Secretary, Department of Homeland Security was held on 28.09.2022 to discuss issues relating to Homeland Security Dialogue.

20. A total of Rs. 237.87 crore released to Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh, Telangana and West Bengal States under Security Related Expenditure (SRE) Scheme and Rs.20.87 crore was released to Jharkhand and Bihar States under Special Infrastructure Scheme (SIS) including construction of 250 Fortified Police Stations. Further, Rs.18.63 crore has been approved for CRPF, BSF, ITBP and SSB under Civic Acton Programme (CAP) in LWE affected areas.

21. Total Value of all Sanction accorded to CAPFs during the month of September is Rs. 83.44 crore for various equipments etc.

22. During the month of September, 2022, an amount of Rs.780.00 crore was released, as Central share of SDRF to 3 States (viz. Mizoram, Tamil Nadu, Karnataka). In addition, an amount of Rs. 450.00 crore was released in advance from NDRF to the 2 States (viz Himachal Pradesh, Assam).

23. High Powered Committee under Joint Secretary (PM), MHA considered and approved annual Action Plans of all 8 UTs and 9 States by holding 5 meetings on 05.09. 2022, 13.09.2022, 16.09.2022, 19.09.2022 and 26.09.2022.

24. Total 64 Coys of CAPFs (RAF 36, CRPF-11, BSF-03, SSB-08, ITBP-05, & CISF-01) as direct induction have been ordered for deployment in various States/ UTs of Puducherry, Chandigarh, Jharkhand, Tamil Nadu, Bihar, Madhya Pradesh, Delhi, Gujarat, Telangana, Uttar Pradesh & Lakshadweep for law and order duties for a specific deployment period.

25. Vide MHA's Notifications dated 30.09.2022, 9 districts and area of 16 Police Stations in 4 other districts of Nagaland and Tirap Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and area of 2 police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering Assam have been declared as 'disturbed areas' under Section 3 of the Armed Forces(Special Powers) Act, 1948 for period of six months w.e.f. 01.10.2022 upto 31.03.2023.

26. During this period, outlying units comprising of the CDTIs & CAPT conducted a range of training sessions which included 51 offline and 3 online course s and trained 5130 Personnel. A wide spectrum of professional courses was conducted.

27. Following regulations have been notified in the Gazette of India (Extraordinary) on 19/09/2022 under Article 240 of the Constitution.

(i) "The Lakshadweep Value Added Tax Regulation, 2022".

(i1) "The Lakshadweep (Right to Public Services) Regulation, 2022".

(iii} "The Lakshadweep Building Development Board (Repeal) Regulation, 2022".

(iv) "The Lakshadweep Co-operative Societies Regulation, 2022".

(v) "The Lakshadweep Panchayat Regulation, 2022".

28. NOC issued for change in the name of "Patalpani Railway Station" as "Jannayak Tantya Bhill Railway Station" in Indore District and name of village "Islam Nagar" as "Jagdishpur" in Madhya Pradesh.

****

गृह मंत्रालय – सितंबर, 2022 की मुख्य उपलब्धियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम और विशिष्ट कार्यक्रम

असम में आदिवासियों और चाय बागान श्रमिकों के दशकों पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए भारत सरकार, असम सरकार और 8 आदिवासी समूहों (बीसीएफ, एसीएमए, एएएनएलए, एपीए, एसटीएफ, एएएनएलएजे एफजी, बीसीएफ / बीटी और एक्मा / एफजी) के प्रतिनिधियों के बीच दिनांक 15.09.2022 को समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

2. असम-अरुणाचल प्रदेश अंतर-राज्यीय सीमा मुद्दों पर दिनांक 15.09.2022 को नई दिल्ली में माननीय गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश और असम के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। दोनों राज्यों ने अपने अंतर-राज्यीय सीमा मुद्दों के हल के लिए एक रोडमैप तैयार किया है।

3. ब्रू समझौते (2020) के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए माननीय गृह मंत्री ने दिनांक 20.09.2022 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता की। ब्रू समझौते की समय सीमा दिनांक 28.02.2023 तक बढ़ा दी गई है।

4. माननीय गृह मंत्री ने वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से सहायता की मदों और मानदंडों के संशोधन की समीक्षा करने के लिए दिनांक 09.09.2022 को एक बैठक आयोजित की।

5. माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली एनडीएमए की 8वीं बैठक के लिए प्रस्तावित एजेंडा मदों पर चर्चा करने के लिए माननीय गृह मंत्री ने दिनांक 30.09.2022 को बैठक की।

6. केंद्रीय गृह सचिव ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के कार्यान्वयन से उठे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्य सचिवों के साथ दिनांक 27.09.2022 को बैठक की।

7. मोबाइल, एफएम रेडियो आदि जैसी सेवाओं के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित टावरों के बुनियादी ढांचे को साझा करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव ने सचिव (सूचना और प्रसारण), प्रशासक (यूएसओएफ) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिनांक 08.09.2022 को बैठक की।

8. केन्द्रीय गृह सचिव ने 13 (5 सर्वाधिक प्रभावित और 8 कन्सर्न जिले) जिलों को उनकी रोशनी योजना के अंतर्गत शामिल करने के संबंध में सचिव (ग्रामीण विकास मंत्रालय) को पत्र लिखा है।

9. केंद्रीय गृह सचिव ने सीमावर्ती इन्फ्रास्ट्रक्चर पर दिनांक 14.09.2022 को नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की 53 वीं बैठक आयोजित की।

10. माननीय गृह मंत्री द्वारा जनगणना अधिनियम में संशोधन पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।

11. विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 15-16 सितंबर, 2022 को दो दिवसीय अखिल भारतीय डीसीओ सम्मेलन आयोजित किया गया था।

12. भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 07.09.2022 को उत्तराखंड सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी गई है।

13. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और इसके सहयोगियों या सहायकों या फ्रंट सहित रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल को भारत के राजपत्र में दिनांक 28 सितंबर, 2022 को प्रकाशित अधिसूचना के तहत 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किया गया है।

14. सितंबर माह के दौरान, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 45 (1) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 के अनुसार 33 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर करने के लिए अभियोजन की मंजूरी दी गई।

15. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (के) निकी समूह के साथ संघर्ष विराम समझौते को दिनांक 08.09.2022 से 07.09.2023 तक एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

16. गृह मंत्रालय के अपर सचिव (एलडब्ल्यूई) ने दिनांक 12.09.2022 को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, तीन राज्यों अर्थात छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र एवं अन्य एजेंसिओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी अंतर-राज्यीय सीमाओं सहित इन राज्यों के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने के संबंध में एक बैठक आयोजित की।

17. गृह मंत्रालय के अपर सचिव (एलडब्ल्यूई) ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों और गृह मंत्रालय की संबंधित एजेंसियों के साथ दिनांक 02.09.2022 को वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन (एसीएएलडब्ल्यूईएम) योजना के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता संबंधी स्थायी समिति की एक बैठक आयोजित की। सुरक्षा बलों के लिए नए शिविर बनाने, उनके मौजूदा शिविरों को मजबूत करने, नाइट लैंडिंग सुविधाओं और संयुक्त कार्य बल शिविरों के निर्माण की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई और इसे अंतिम रूप दिया गया।

18. ओआरजीआई के सम्मेलन कक्ष, एनडीसीसी-II, जय सिंह रोड, नई दिल्ली में दिनांक 29 सितंबर, 2022 को लोक उद्यम चयन बोर्ड के सदस्य, श्री अमरजीत सिन्हा द्वारा "ब्रिजिंग द लास्ट माइल इन प्रो पूअर पब्लिक वेलफेयर" विषय पर मिक्स्ड मोड (ऑनलाइन और भौतिक) में 10वां ओआरजीआई संगोष्ठी में व्याख्यान दिया गया। ओआरजीआई/डीसीओ के लगभग 250 अधिकारियों ने इसमें भाग लिया।

19. होमलैंड सिक्योरिटी वार्ता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (आईसी) के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के असिस्टेंट सेक्रेटरी के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच दिनांक 28.09.2022 को बैठक आयोजित की गई।

20. सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल राज्यों को कुल 237.87 करोड़ रुपये जारी किए गए और झारखंड और बिहार राज्यों को 250 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों के निर्माण सहित विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम (एसआईएस) के अंतर्गत 20.87 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सिविक एक्शन प्रोग्राम (सीएपी) के अंतर्गत सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के लिए 18.63 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

21. सितंबर माह के दौरान, सीएपीएफ को विभिन्न उपकरणों आदि के लिए कुल 83.44 करोड़ रुपये मंजूरी का दी गई है।

22. सितंबर, 2022 के दौरान, 3 राज्यों (अर्थात मिजोरम, तमिलनाडु, कर्नाटक) को केंद्रीय हिस्से के रूप में एसडीआरएफ के 780.00 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, एनडीआरएफ से 2 राज्यों (अर्थात हिमाचल प्रदेश, असम) को 450.00 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम रूप से जारी की गई।

23. संयुक्त सचिव (पीएम), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 05.09.2022, 13.09.2022, 16.09.2022, 19.09.2022 और 26.09.2022 को 5 बैठकें आयोजित की जिसमें सभी 8 संघ राज्य क्षेत्रों और 9 राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं पर विचार करके उन्हें अनुमोदन प्रदान किया गया।

24. सीएपीएफ की कुल 64 कंपनियों (आरएएफ 36, सीआरपीएफ-11, बीएसएफ-03, एसएसबी-08, आईटीबीपी-05, और सीआईएसएफ-01) को पुदुचेरी, चंडीगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और लक्षद्वीप के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशिष्ट तैनाती अवधि के लिए कानून और व्यवस्था ड्यूटियों हेतु तैनात करने का आदेश दिया गया।

25. गृह मंत्रालय की दिनांक 30.09.2022 की अधिसूचना के तहत, नागालैंड के 9 जिलों और 4 अन्य जिलों के 16 पुलिस थाना क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के 2 पुलिस थाना क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1948 की धारा 3 के तहत दिनांक 1.10.2022 से 31.03.2023 तक छह महीने की अवधि के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया।

26. इस अवधि के दौरान, सीडीटीआई और सीएपीटी से बनी बाहरी यूनिटों ने कई प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जिसमें 51 ऑफ़लाइन और 3 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के द्वारा 5130 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला आयोजित की गई।

27. संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत दिनांक 19/09/2022 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए।

(i) “लक्षद्वीप मूल्य वर्धित कर विनियम, 2022”

(i1) “लक्षद्वीप (लोक सेवाओं का अधिकार) विनियम, 2022”

(iii} “लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड (निरसन) विनियम, 2022”

(iv) “लक्षद्वीप सहकारी सोसाइटी विनियम, 2022”

(v) “लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 2022”

28. इंदौर जिले में "पातालपानी रेलवे स्टेशन" का नाम "जननायक तांत्या भील रेलवे स्टेशन" और मध्य प्रदेश में "इस्लाम नगर" गांव का नाम "जगदीशपुर" करने के लिए एनओसी जारी किया गया।

****